कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक प.(1)आब/जिला/डोपो/2014–15/467 दिनांक :– 2.12.2014

डोडापोस्त समूह बीकानेर प्रथम एवं वल्लभनगर प्रथम हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अनुज्ञाधारी की जोखिम एवं लागत पर निरस्त किये गये डोडापोस्त समूह बीकानेर प्रथम एवं वल्लभनगर प्रथम हेतु वर्ष 2014–15 की शेष अवधि के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इस समूह की वार्षिक अनुज्ञा राशि रू. 1,64,50,000/– निर्धारित हैं जो कि स्वीकृति की दिनांक से आनुपातिक रूप से देय होगी।

2. डोडा पोस्त दुकाने जहां स्थापित की जा सकेगी उसकी सूची एवं आवेदन के संदर्भ में अन्य शर्तो का विवरण इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं आबकारी मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगा। यह सूचना विभाग के वेबसाईट http://www.rajexcise.net पर भी उपलब्ध रहेगी।

3. आवेदन पत्र स्टेशनरी चार्ज रूपये 100/– जमा कराकर इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट http://www.rajexcise.net से लीगल साईज के 70 जी.एस.एम. सादे कागज पर डाउनलोड कर आवेदन कर सकेगा। **आवेदक द्वारा विभागीय वेबसाईट से** आवेदन डाउनलोड किये जाने की स्थिति में स्टेशनरी चार्ज देय नही होगा। **निर्धारित साईज एवं जी.एस.एम. कागज पर डाउनलोड नही करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता हैं।** आवेदन पत्र के साथ समूह की अनुज्ञाराशि, दुकानों की संख्या एवं आवेदन के संदर्भ में अन्य शर्तो का विवरण उपलब्ध हैं।

4. इस समूह के आवेदन हेतु, आवेदन शुल्क रू. 10,000/– निर्धारित है, जिसका जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क वापसी योग्य नही होगा।

5. **एक व्यक्ति को एक से अधिक समूह का आवंटन नहीं किया जायेगा।** यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में पहले से ही किसी डोडापोस्त समूह का अनुज्ञापत्र स्वीकृत है तो ऐसे व्यक्ति को इस समूह की स्वीकृति जारी नही की जायेगी। पूर्व में आवंटित समूह की सूचना विभाग को नही देने पर इसे आवेदन आमंत्रण शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा एवं आवेदक का चयन निरस्त कर उसके द्वारा जमा करवायी राशियां जप्त कर ली जायेगी।

6. इस समूह के आवेदन पत्र के साथ 4 माह की आनुपातिक अनुज्ञाराशि रू. 54.84 लाख की 10 प्रतिशत राशि रू. 5.48 लाख का जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट बतौर अर्नेस्टमनी संलग्न करना आवश्यक होगा, जो आवेदक के पक्ष में स्वीकृति जारी होने पर धरोहर राशि पेटे समायोजित कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेंस/आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।

7. सफल आवेदक को आनुपातिक अनुज्ञाराशि की एक तिहाई राशि धरोहर राशि के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी तथा 10 प्रतिशत के बराबर राशि की बैंक गारन्टी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करनी होगी।

8. आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 05.12.2014 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेगें, इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।

9. इस समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 05.12.2014 को सांय 5.00 बजे जिला मुख्यालय बीकानेर पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्य दिवस को भी जारी रहेगी।

10. जिन आवेदन पत्रों के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क, अर्नेस्टमनी अथवा पहचान का प्रमाण संलग्न नहीं होगा उन पर विचार नही किया जायेगा एवं उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

11. इस सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु इस कार्यालय अथवा आबकारी आयुक्त कार्यालय उदयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

Sd/-

जिला आबकारी अधिकारी,
बीकानेर।